प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

M. A. (C) No. 532/2014

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा डिवीजनल मैनेजर, डिवीजनल ऑफिस, प्रथम तल, रामा ट्रेड सेंटर, बस स्टैंड के पास, बिलासपुर, राजस्व और सिविल जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, पिन 495001.

---- अपीलकर्ता

बनाम

1. जुगेश्वरी पति– ईश्वर राम, उम्र करीब 68 साल, व्यवसाय हाउसकीपिंग।
2. ईश्वर राम पिता– सुरजन राम, उम्र करीब 73 साल, व्यवसाय हाउसकीपिंग।
3. केश्वर राम पिता– ईश्वर राम, उम्र करीब 38 साल, व्यवसाय कृषक।
4. भगमनिया पति– तोमसाई, उम्र करीब 43 साल, व्यवसाय हाउसकीपिंग।
5. रामकुमार पिता– तोमसाई, उम्र करीब 32 साल।
6. प्रेम कुमारी पिता– तोमसाई, उम्र करीब 27 साल, व्यवसाय हाउसकीपिंग।
7. घरभरन पिता– तोमसाई, उम्र करीब 25 साल।
8. कोसलराम पिता– तोमसाई, उम्र करीब 21 साल।

सभी प्रतिवादी संख्या 1 से 8 निवासी गांव बीरपुर, थाना– जयनगर,
तहसील सूरजपुर, जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़।

9. श्रीमती धना देवी पति– विष्णु नारायण, श्री मानिकचंद सिंह, निवासी– नमनाकला, अंबिकापुर, जिला: सरगुजा, छत्तीसगढ़।

----उत्तरदातागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता के लिए	: श्री आर०एन०पुष्टि, अधिवक्ता
उत्तरदातागण 1 से 8 के लिए	: श्री अशोक कुमार शुक्ला, अधिवक्ता
उत्तरदातागण 9 के लिए	: कोई नहीं

माननीय श्री पी. आर. रामचन्द्र मेनन, मुख्य न्यायमूर्ति
माननीय श्री पार्थ प्रतिम साहू, न्यायाधीश

बोर्ड पर निर्णय

<u>प्रति पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश</u>

<u>07.10.2020</u>

1. अपीलार्थी/गैर–आवेदक क्रमांक–2/बीमा कंपनी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (जिसे आगे 'एम.वी. अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 173 के अंतर्गत यह अपील दायर की है, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सूरजपुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ (जिसे आगे 'दावा न्यायाधिकरण' कहा जाएगा) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 52/2002 में पारित दिनांक 03.01.2014 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने दावा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया था और मृत्यु मामले में मुआवजे के रूप में 6,24,000/– रुपए की राशि प्रदान की थी।

2. इस अपील के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि दिनांक 06.03.2001 को टॉमसाई जीप क्रमांक यू.पी.–63/ए/9563 (जिसे आगे 'अपराधी वाहन' कहा जाएगा) पर सवार होकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में कालीघाट मंदिर के पास चालक की लापरवाही से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उक्त दुर्घटना में टॉमसाई को गंभीर चोटें आईं, उसे मिशन अस्पताल अंबिकापुर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. मृतक तोमसाई की विधवा और बच्चों ने दावाकर्ता, जो कि तोमसाई की असामयिक मोटर दुर्घटना मृत्यु के कारण 20,00,000/– रूपये की क्षतिपूर्ति का दावा करते हुए विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा आवेदन प्रस्तुत किया।

4. अनावेदक क्रमांक 1/अपराधी वाहन के स्वामी ने दावा आवेदन में की गई दलीलों को नकारते हुए उत्तर प्रस्तुत किया, दलील दी कि अपराधी वाहन एक निजी वाहन अर्थात जीप है, इसका उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं किया गया था और यदि अपराधी वाहन का उपयोग मृतक के साथ 'यात्री ले जाने वाले वाहन' के रूप में किया जा रहा होता, तो अन्य यात्रियों को भी चोट लग सकती थी। आगे दलील दी गई कि अपराधी वाहन को मरम्मत के लिए गैराज में भेजा गया था, क्योंकि वह उक्त वाहन से मिर्जापुर (अपने घर) जाना चाहती थी और अपराधी वाहन का चालक उसकी अनुमति के बिना वाहन को अंबिकापुर से कमालपुर (अपने घर) ले गया। अंत में दलील दी गई कि उसे नहीं पता कि उसके वाहन से दुर्घटना में टॉमसाई की मृत्यु कैसे हुई।

5. अनावेदक क्रमांक 2/बीमा कंपनी ने दावा आवेदन पर जवाब प्रस्तुत किया, दावा आवेदन में की गई दलीलों को नकारते हुए दलील दी कि टॉमसाई किराया देकर आपत्तिजनक वाहन में यात्री के रूप में यात्रा कर रही थी, आपत्तिजनक वाहन का बीमा 'निजी वाहन' के रूप में किया गया था। बीमा पॉलिसी इस शर्त के साथ जारी की गई थी कि वाहन को लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति द्वारा परमिट के तहत ही चलाया जाएगा, क्योंकि उसे यात्रियों को ले जाने की अनुमति है; मृतक किराया देकर यात्रा कर रही थी; यात्रियों को ले जाने का कोई परमिट नहीं था और आपत्तिजनक वाहन के चालक के पास वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ था। यह भी दलील दी गई कि एक अन्य दावा मामला क्रमांक 68/2001 में, जिसमें एक श्रीमती सरला सिंह को वाहन का मालिक बताया गया, सत्यापन के बाद विजय बर्मन के पास जो लाइसेंस नंबर है, वह क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी से जारी नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों, साक्ष्यों और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री की सराहना करते हुए विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने 21.10.2003 को प्रारंभिक रूप से एक निर्णय पारित किया, जिसमें दावेदारों द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, 6,24,000/– रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए और बीमा कंपनी पर मुआवजे की राशि को पूरा करने का दायित्व तय किया गया।

7. अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने दावा मामला संख्या 52/2002 और 35/2002 में पारित निर्णय को क्रमशः एम.ए. संख्या 134/2004 और 135/2004 दायर करके इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उपर्युक्त सुनवाई अपील के पश्चात, संबंधित उच्च न्यायालय के पक्षों ने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार किया तथा इस तथ्य पर भी विचार किया कि चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होने के संबंध में मुद्दा तैयार नहीं किया गया था, मामले को दिनांक 25.03.2011 के आदेश द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया गया कि क्या अपराधी वाहन के चालक के पास अपराधी वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था तथा उसके पश्चात, मुआवजे की राशि को पूरा करने की देयता पर निर्णय लिया जाना था।

8. मामले को वापस रिमांड पर प्राप्त करने के पश्चात, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने विवादित निर्णय पारित किया तथा माना कि बीमा कंपनी यह साबित करने में विफल रही है कि अपराधी वाहन के चालक विजय बर्मन के पास वैध लाइसेंस नहीं था तथा एक्स.ए/6 को ध्यान में रखते हुए माना कि दुर्घटना की तिथि पर विजय बर्मन के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था। पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन साबित नहीं पाया गया और गैर–आवेदक संख्या 2/बीमा कंपनी पर मुआवजे की राशि को पूरा करने का दायित्व तय किया गया।

9. अपीलार्थी/बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.एन. पुस्ती ने प्रस्तुत किया कि विद्वान दावा अधिकरण ने लाइसेंस के संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य एवं सामग्री पर विचार न करके त्रुटि की है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी/बीमा कम्पनी ने दिनांक 17.12.2013 को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी के गवाह से पूछताछ करने का अवसर प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर विचार नहीं किया गया, जो कि इस न्यायालय द्वारा रिमांड आदेश में जारी निर्देश के विपरीत है। यह तर्क दिया गया है कि आपत्तिजनक वाहन 'निजी वाहन' के रूप में पंजीकृत था, बीमा पॉलिसी 'निजी वाहन' के लिए जारी की गई थी, जिसे अनावेदक संख्या 1/अपराधी वाहन के स्वामी द्वारा स्वीकार किया गया था, किन्तु दुर्घटना की तिथि को मृतक 'किराया भुगतान करने वाले यात्री' के रूप में यात्रा कर रहा था, अतः बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ। यह इंगित किया गया है कि मृतक, जो 'यात्री' के रूप में यात्रा कर रहा था, के जोखिम का कोई कवरेज नहीं था। उन्होंने अंत में तर्क दिया कि निजी वाहन में बीमाधारक के अलावा केवल बीमाधारक के परिवार के सदस्य ही यात्रा कर सकते हैं। दावेदार बीमाधारक/वाहन के मालिक के साथ मृतक का कोई संबंध दिखाने में विफल रहे हैं, इसलिए मृतक का जोखिम कवर नहीं किया गया।

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 से 8/दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्षों द्वारा अभिलेख पर रखे गए साक्ष्यों की सराहना करते हुए सही निष्कर्ष/निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय द्वारा रिमांड आदेश में जारी निर्देश के अनुसरण में अपीलकर्ता/बीमा कंपनी को अपनी ओर से गवाह की जांच करने का अवसर दिया है और साक्ष्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दर्ज करने के लिए मामले की तिथि 10.12.2013 तय की है। यह आदेश दिनांक 08.11.2013 की कार्यवाही में पारित किया गया था। संबंधित पक्षों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक महीने से अधिक का समय दिया गया था, लेकिन अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने किसी भी गवाह की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया है। वास्तव में, विद्वान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वे किसी भी गवाह की जांच नहीं करना चाहते हैं। यह तर्क दिया गया है कि अपराधी वाहन को 'निजी वाहन' के रूप में पंजीकृत किया गया था, रिकॉर्ड पर एक साक्ष्य उपलब्ध है कि जब अपराधी वाहन का चालक अकेले गाड़ी चला रहा था, तो उसने पाया कि मृतक अपने दोस्त के साथ साइकिल पर यात्रा कर रहा था और उसने मृतक से पूछा कि क्या वह उसके वाहन में यात्रा करना चाहता है, तो वह भी उसके साथ हो सकता है और इस तरह, मृतक वाहन का अधिभोगी बन गया, न कि यात्री के रूप में। यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपराधी वाहन का उपयोग 'यात्री ले जाने वाले वाहन' के रूप में किया जा रहा था और मृतक उक्त वाहन में 'किराया देने वाले यात्री' के रूप में यात्रा कर रहा था। इस संबंध में कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि बीमा पॉलिसी के तहत, मृतक का जोखिम भी कवर किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

12. प्रारंभ में, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने दिनांक 21.10.2003 के अपने निर्णय द्वारा दावा आवेदन संख्या 52/2002 पर निर्णय करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जिसे बीमा कंपनी द्वारा एम.ए. संख्या 134/2004 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिस पर 25.03.2011 को निर्णय हुआ। इस न्यायालय की खंडपीठ ने मामले को विद्वान दावा न्यायाधिकरण को वापस भेजते हुए, विद्वान दावा न्यायाधिकरण को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में एक अतिरिक्त मुद्दा तैयार करे कि दुर्घटना की तिथि पर, अपराधी वाहन का चालक वैध तथा प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन चला रहा था या नहीं।

13. विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा मामले को वापस रिमांड पर लेने के पश्चात संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के पश्चात की गई कार्यवाही के अनुसार वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के

संबंध में अतिरिक्त मुद्दा दिनांक 08.11.2013 को तय किया गया। विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने संबंधित पक्षों के साक्ष्य के लिए मामले को दिनांक 10.12.2013 को तय किया है। दिनांक 10.12.2013 को अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया कि वे अतिरिक्त मुद्दे के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं तथा मामले को दिनांक 17.12.2013 को अंतिम बहस के लिए तय किया गया। दिनांक 17.12.2013 को यह दर्ज किया गया कि पक्षों ने अंतिम बहस के लिए समय मांगा है तथा तदनुसार मामले की सुनवाई दिनांक 02.01.2014 को तय की गई, जिस तिथि को मामले की अंतिम सुनवाई हुई तथा दिनांक 03.01.2014 को निर्णय पारित किया गया। विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 17.12.2013 को दर्ज की गई कार्यवाही में बीमा कंपनी के वकील द्वारा विद्वान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर करने का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 17.12.2013 को दर्ज की गई कार्यवाही को सही ढंग से तैयार नहीं किए जाने की चुनौती नहीं दी है, बल्कि उन्होंने केवल यह दिखाने के लिए इस अपील को पृष्ठ संख्या 17 पर दर्ज किया है कि अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, वाराणसी के एक कर्मचारी, गवाह से पूछताछ करने का अवसर देने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपर्युक्त आदेश–पत्रों में विद्वान दावा अधिकरण द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही के मद्देनजर, हम अपीलार्थी/बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा की गई इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि गवाह की जांच के लिए दायर आवेदन पर विद्वान दावा अधिकरण द्वारा विचार नहीं किया गया क्योंकि आवेदन दाखिल करने का विवरण स्वयं विद्वान दावा अधिकरण द्वारा दर्ज आदेश–पत्र में नहीं है और उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई।

15. उपरोक्त के अलावा, पहले की कार्यवाही के अनुसार भी, विद्वान दावा अधिकरण ने 30.09.2002 को अपने गवाहों को नोटिस जारी करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा विद्वान दावा अधिकरण के समक्ष की गई प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। दिनांक 28.03.2003 के आदेश–पत्र में, विद्वान दावा अधिकरण ने दर्ज किया है कि बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी को अन्य गवाहों के अलावा गवाह के रूप में जांच करने के लिए

समय देने के लिए की गई प्रार्थना पर, न्यायाधिकरण ने दर्ज किया है कि 5,500/– रुपये का व्यय जमा करने पर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी को नोटिस जारी किया जाए। बीमा कंपनी ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी को गवाह के रूप में बुलाने के लिए निर्देशित व्यय की राशि जमा नहीं की है। इस न्यायालय द्वारा पारित रिमांड के आदेश के बाद भी, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने अपने मामले के समर्थन में गवाह की जांच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, ताकि यह साबित हो सके कि दुर्घटना की तारीख पर, अपराधी वाहन के चालक के पास अपराधी वाहन चलाने के लिए वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, वास्तव में, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले विद्वान वकील ने कहा है कि वे कोई सबूत नहीं देना चाहते हैं।

16. मामले के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री तथा अपीलार्थी/बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन कि अपीलार्थी/बीमा कम्पनी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया, स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभिलेख के विपरीत होने के कारण यह कथन निरस्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. जहां तक यात्रियों को ले जाने के लिए निजी वाहन के बीमा के संबंध में अगले आधार का संबंध है, दावेदारों ने गोपाल राम नामक व्यक्ति से AW–2 के रूप में पूछताछ की है, जिसके लिए मृतक दरवाजे बनाने का काम करता था। उसने बताया कि तोमसाई, गोपाल राम के साथ दरवाजे की फिटिंग खरीदने के लिए साइकिल से अंबिकापुर गया था, जब वे वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में विजय बर्मन जो कि अपराधी वाहन चला रहा था, की मुलाकात गोपाल राम एवं मृतक से हुई तथा मृतक से कहा कि यदि वह चाहे तो उसके साथ अपराधी वाहन में चले। इस पर तोमसाई अपराधी वाहन में सवार होकर विजय बर्मन के साथ चला गया। कुछ दूर जाने के बाद अपराधी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गोपाल राम कुछ समय बाद घटनास्थल पर पहुंचे। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि मृतक 'किराया देने वाले यात्री' के रूप में यात्रा कर रहा था या दुर्घटना की तिथि पर, अपराधी वाहन का उपयोग 'यात्री ले जाने वाले वाहन' के रूप में किया जा रहा था। अपीलकर्ता/बीमा कंपनी ने अभिलेख पर कोई साक्ष्य या सामग्री नहीं लाई है और न ही इस न्यायालय के समक्ष यह इंगित किया है कि अपराधी वाहन का उपयोग 'यात्री ले

जाने वाले वाहन' के रूप में किया जा रहा था। उपरोक्त के मद्देनजर, यह दलील भी टिकने योग्य नहीं है।

18. जहां तक अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए अन्य आधार का संबंध है कि बीमा पॉलिसी के तहत मृतक का कोई कवरेज नहीं था, हमने बीमा पॉलिसी (एक्स.एनए 3–1) का अवलोकन किया है। बीमा पॉलिसी के अवलोकन से पता चलता है कि यह एक 'निजी कार (जोन ए) पॉलिसी बी कॉम्प्रिहेंसिव' थी और यहां तक कि नौ यात्रियों के लिए प्रीमियम भी लिया गया था। अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा पॉलिसी की प्रकृति के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने स्वीकार किया कि आपत्तिजनक वाहन के लिए जारी की गई बीमा पॉलिसी एक 'व्यापक पॉलिसी' थी।

19. व्यापक पॉलिसी के तहत वाहन में सवार व्यक्तियों के जोखिम के कवरेज के संबंध में मुद्दा, चाहे वह कवर हो या न हो, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बालकृष्णन और अन्य** (2013) 1 **एससीसी** 731 में रिपोर्ट किए गए मामले में तय किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों और इस संबंध में जारी परिपत्रों पर विचार करते हुए इस प्रकार माना है:

> "21. इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि जब **भाग्यलक्ष्मी बनाम यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** (2009) 7 **एससीसी 148** में निर्णय दिया गया था, तब दिल्ली उच्च न्यायालय का "व्यापक/पैकेज पॉलिसी" के संबंध में टैरिफ सलाहकार समिति के दृष्टिकोण से निपटने वाला निर्णय सामने नहीं आया था। हम इसे संदर्भित करना उचित समझते हैं क्योंकि यह कुछ तथ्यात्मक स्थिति से संबंधित है जो सहायक हो सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने **यशपाल लूथरा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2011 एसीजे 1415 (दिल्ली)** में टैरिफ सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) के सक्षम प्राधिकारी के साक्ष्य को दर्ज करने के बाद, आईआरडीए द्वारा सभी बीमा कंपनियों के सीईओ को जारी दिनांक 16.11.2009 के परिपत्र को पुनः प्रस्तुत किया, जिसमें व्यापक/ पैकेज पॉलिसी के तहत दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले सवार और निजी कार में सवार लोगों के संबंध में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बीमा कंपनियों की देयता से संबंधित तथ्यात्मक स्थिति को पुनः बताया गया था।

22. उच्च न्यायालय द्वारा पुन: प्रस्तुत परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है: (यशपाल लूथरा मामला, एसीजे पृ.1419–20, पैरा 20)

"बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

संदर्भ:आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एफ&यू/
073/11/2009

दिनांक: 16–11–2009

सेवा में,

सभी सामान्य बीमा कंपनियों के सीईओ

विषय: मानक मोटर पैकेज पॉलिसी (जिसे 'व्यापक पॉलिसी' भी कहा जाता है) के अंतर्गत निजी कार और दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के संबंध में बीमा कंपनियों की देयता।

बीमाकर्ताओं का ध्यान (पूर्ववर्ती) भारत मोटर टैरिफ (आईएमटी) के अंतर्गत निजी कार और दोपहिया वाहन के लिए मानक मोटर पैकेज पॉलिसी (जिसे 'व्यापक पॉलिसी' भी कहा जाता है) की धारा (II) 1 (ii) के शब्दों की ओर आकर्षित किया जाता है। सुविधा के लिए प्रासंगिक प्रावधान नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:–

'धारा II – तीसरे पक्ष के प्रति देयता

(1) अनुसूची में निर्धारित देयताओं की सीमाओं के अधीन, कंपनी बीमाकृत वाहन के उपयोग से होने वाली दुर्घटना की स्थिति में बीमाकृत व्यक्ति को सभी राशियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगी, जिसका भुगतान करने के लिए बीमाकृत व्यक्ति कानूनी रूप से उत्तरदायी होगा–

(i) वाहन में सवार व्यक्तियों सहित किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट (बशर्ते ऐसे सवार व्यक्ति को किराए या पारिश्रमिक पर न ले जाया गया हो) लेकिन मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक होने के अलावा, कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी, जहां ऐसी मृत्यु या चोट बीमाधारक द्वारा ऐसे व्यक्ति के रोजगार के दौरान उत्पन्न होती है।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बीमाकर्ताओं के ध्यान में यह भी लाया जाता है कि उपरोक्त प्रावधान टी.ए.सी. द्वारा इस विषय पर पहले जारी किए गए निम्नलिखित परिपत्रों के अनुरूप हैं:

(i) परिपत्र एम.वी. संख्या 1, 1978 दिनांक 18–3–1978 (निजी कार में सवार व्यक्तियों के संबंध में) 25–3–1977 से प्रभावी।

(ii) एम.ओ.टी/जनरल/10 दिनांक 26–6–1986 (दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले सवार के संबंध में) परिपत्र की तिथि से प्रभावी।

उपरोक्त परिपत्रों से यह स्पष्ट होता है कि निजी कार में सवार व्यक्ति और दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति के संबंध में बीमाकृत देयता मानक मोटर पैकेज पॉलिसी के अंतर्गत आती है। त्वरित संदर्भ के लिए उपरोक्त परिपत्रों की एक–एक प्रति संलग्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राधिकरण ने फाइल एवं उपयोग दिशा–निर्देशों के अंतर्गत जारी परिपत्र संख्या 066/आईआरडीए/एफ&यू/मार्च–08 दिनांक 26–3–2008 के माध्यम से दोहराया है कि बीमाकर्ता आगे के आदेशों तक पूर्व टैरिफ के अंतर्गत आने वाले कवर के संबंध में कवरेज, नियम एवं शर्तों के शब्दों, वारंटियों, खंडों और अनुमोदनों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने परिपत्र संख्या 019/आईआरडीए/एनएल/एफएंडयू/अक्टूबर–08 दिनांक 6–11–2008 के माध्यम से आदेश दिया है कि बीमाकर्ताओं को पूर्व टैरिफ में उपलब्ध मानक कवर के दायरे को पूर्व टैरिफ में अनुमत विकल्पों से परे कम करने की अनुमति नहीं है। सभी सामान्य बीमाकर्ताओं को उपर्युक्त परिपत्रों का पालन करने की सलाह दी जाती है और इसका कोई भी गैर–अनुपालन प्राधिकरण द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

एसडी/–
(प्रबोध चंद्र)
कार्यकारी निदेशक"
(जोर दिया गया)

23. उच्च न्यायालय ने आईआरडी द्वारा दिनांक 3.12.2009 को जारी एक परिपत्र भी पुनः प्रस्तुत किया है। इसे उद्धृत करना शिक्षाप्रद है: **(यशपाल लूथरा मामला, एसीजे पृष्ठ 1422–23, पैरा 23)**

"बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

संदर्भ–आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एफएंडयू/
078/12/2009

दिनांक 3–12–2009।

सेवा में,

सभी सामान्य बीमा कंपनियों के सभी सीईओ (ईसीजीसी, एआईसी, स्टाफ हेल्थ, अपोलो को छोड़कर)

विषय: मानक मोटर पैकेज पॉलिसी (जिसे 'व्यापक पॉलिसी' भी कहा जाता है) के अंतर्गत निजी कार में सवार व्यक्ति और दोपहिया वाहन में पीछे बैठे व्यक्ति के संबंध में बीमा कंपनियों की देयता।

दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.11.2009 के आदेश यशपाल लूथरा (सुप्रा) के अनुसरण में प्राधिकरण ने प्राधिकरण की ओर से उपस्थित वकील और न्याय मित्र की उपस्थिति में मोटर बीमा व्यवसाय करने वाली सभी सामान्य बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की 26–11–2009 को एक बैठक बुलाई।

बैठक में सामान्य बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा आईआरडीए के दिनांक 16–11–2009 के परिपत्र का अनुपालन करने के लिए लिए गए सर्वसम्मति से निर्णय के आधार पर, व्यापक/ पैकेज पॉलिसियों के अंतर्गत निजी कार में सवार व्यक्तियों तथा दो पहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति के संबंध में मोटर बीमा व्यवसाय करने वाली सभी सामान्य बीमा कम्पनियों की देयता से संबंधित स्थिति को पुनः स्पष्ट किया गया है, जिसकी सूचना उसी दिन अर्थात् 26–11–2009 को न्यायालय को दी गई थी तथा न्यायालय ने न्यायालय मास्टर, दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेश (दिनांक 26.11.2009) पारित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है, जिसे आपके त्वरित संदर्भ तथा अनुपालन हेतु संलग्न किया गया है। उक्त आदेश के अनुसार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तथा व्यापक/पैकेज पॉलिसियों के अंतर्गत निजी कार में बैठे व्यक्तियों तथा दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति के संबंध में मोटर बीमा व्यवसाय करने वाली सभी सामान्य बीमा कंपनियों की स्वीकृत देयता के अनुसार, आपको प्राधिकरण से यह पुष्टि करने की सलाह दी जाती है कि उच्च न्यायालय के दिनांक 16–11–2009 के परिपत्र तथा दिनांक 26.11.2009 के आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया गया है। आपकी ओर से इस तरह के अनुपालन में यह भी शामिल होगा:

(i) एमएसीटी के समक्ष लंबित मामलों में जहां भी ऐसी चुनौती के खिलाफ याचिका ली गई हो, उसे वापस लेना तथा 7 दिनों के भीतर अपने–अपने वकीलों और संचालन अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करना;

(ii) इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी अपीलों के संबंध में, संबंधित संचालन अधिकारियों और वकील को 7 दिनों के भीतर इस आधार पर चुनौती वापस लेने के निर्देश जारी करना, जिसके लिए 2 सप्ताह की अवधि के भीतर इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित अपीलों (चाहे दावेदारों या बीमाकर्ताओं द्वारा दायर की गई हों) की संख्या की पहचान करना और उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस आधार पर चुनौती वापस लेना आवश्यक होगा;

(iii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों के संबंध में, उचित सलाह और कार्रवाई के लिए, 7 दिनों की अवधि के भीतर, अपने संबंधित अधिवक्ताओं को आईआरडीए परिपत्रों के बारे में सूचित करना। आपका ध्यान 26.11.2009 को सीईओ की बैठक में हुई चर्चाओं की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जब यह दोहराया गया था कि बीमाकर्ताओं को उनके द्वारा तय किए गए संदर्भ के केंद्रीय बिंदु के माध्यम से उपरोक्त विषय पर दुर्घटना दावों के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए क्योंकि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय को उचित समय पर सूचित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया जाना है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि न्यायालय के आदेश का आवश्यक और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दो महीने की अवधि के भीतर जानकारी एकत्र करने और उसे एकत्रित करने का कार्य करें। जानकारी को सामान्य बीमा परिषद के सचिवालय के साथ केंद्रीकृत किया जा सकता है और हमें भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

आई.आर.डी.ए. को इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्रवाई पर आपसे लिखित पुष्टि की आवश्यकता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

स./–
(प्रबोध चंद्र)
कार्यकारी निदेशक।"
(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक "व्यापक/पैकेज पॉलिसी" कार में बैठे व्यक्ति के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए बीमाकर्ता की देयता को कवर करेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक "एक्ट पॉलिसी" एक "व्यापक/पैकेज पॉलिसी" से अलग है। चूंकि परिपत्रों ने स्थिति को बहुत स्पष्ट कर दिया है और आईआरडीए, जो वर्तमान में वैधानिक प्राधिकरण है, ने बीमा कंपनियों को आदेश दिया है कि एक "व्यापक/पैकेज पॉलिसी" देयता को कवर करती है, इस संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। हम यह स्पष्ट करने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि पहले की घोषणाएं "एक्ट पॉलिसी" के संबंध में की गई थीं, जो निश्चित रूप से कार में बैठे व्यक्ति के तीसरे पक्ष के जोखिम को कवर नहीं कर सकती हैं। लेकिन, अगर पॉलिसी एक "व्यापक/पैकेज पॉलिसी" है, तो देयता को कवर किया जाएगा। भाग्यलक्ष्मी (सुप्रा) के मामले में इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया था और इसलिए मामले को एक बड़ी बेंच को भेजा गया था। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि वर्तमान मामले को एक बड़ी बेंच को भेजने की

कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आईआरडीए, जो वर्तमान में वैधानिक प्राधिकरण है, ने परिपत्र जारी करके स्थिति स्पष्ट कर दी है जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पुन: प्रस्तुत किया है और हमने भी इसे पुन: प्रस्तुत किया है।

20. इसके अलावा, **जगतार सिंह उर्फ जगदेव सिंह बनाम संजीव कुमार एवं अन्य (2018) 15 एससीसी 189** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बालकृष्णन (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा करते हुए इस प्रकार माना है:

"1. इस अपील में, विशेष अनुमति से, अपीलकर्ता यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम संजीव कुमार, 2010 एससीसी ऑनलाइन पीएंडएच 7132 में चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18–8–2010 के आदेश की कानूनी औचित्य पर सवाल उठाता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष को खारिज कर दिया है और मुआवजे की राशि बढ़ाने के बाद मालिक को उत्तरदायी बनाया है। बीमाकर्ता को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया है कि अपीलकर्ता कार में एक अनावश्यक यात्री था।

2. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री यदुनंदन बंसल ने प्रस्तुत किया है कि विवाद बालकृष्णन (सुप्रा) में दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय द्वारा कवर किया गया है जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार माना है (एससीसी पीपी. 743–44, पैरा 24–26).....

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को अलग रखना उचित समझते हैं और मामले को विचार के लिए भेजते हैं कि क्या विचाराधीन पॉलिसी एक "व्यापक/पैकेज पॉलिसी" है या विशेष रूप से एक "अधिनियम पॉलिसी" है। इस तरह के विचार के बाद यह एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर बीमाधारक के पास कोई अन्य तर्क उपलब्ध है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तो वह उच्च न्यायालय के समक्ष इसे उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।"

21. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए कि निर्विवाद रूप से अपराधी वाहन के लिए जारी की गई पॉलिसी एक 'व्यापक पॉलिसी' थी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में निर्धारित कानून के आलोक में, हमारा विचार है कि अपराधी वाहन के अधिभोगी अर्थात् मृतक के जोखिम को कवर किया गया था। इसलिए, अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह दलील भी टिकने योग्य नहीं है कि मृतक के जोखिम को कोई कवरेज नहीं है तथा इसे निरस्त किया जाता है।

22. उपर्युक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई योग्यता या आरोपित पुरस्कार में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं मिलता। अपील विफल हो जाती है तथा इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–
(पी. आर. रामचन्द्र मेनन,)
मुख्य न्यायमूर्ति

सही /-
(पार्थ प्रतिम साहू) न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।